खण्ड : 11 संख्या : 13

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(एकादश सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 21 जुलाई 1993 ई०

कार्यालय का निर्माण

1108. *श्री विनोद कुमार राय* : (1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1990 में अररिया को जिला का दर्जा दिया गया,

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला मुख्यालय में वर्ष 1990 से अब तक आरक्षी अधीक्षक के आवास का निर्माण नहीं किया गया है,

(3) क्या यह बात सही है कि आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय तथा आवास न बनने के कारण आरक्षी अधीक्षक का आवास तथा कार्यालय जिला परिषद् के निरीक्षण भवन में चल रहा है।

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आरक्षी अधीक्षक का निवास तथा कार्यालय का निर्माण बनाने का विचार रखती है और नहीं तो क्यों,

प्रभारी मंत्री :

(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) मार्च 1992 में अररिया समाहरणालय भवन की प्रशासनिक स्वीकृत सरकार द्वारा निर्गत की गई है। समाहरणालय के द्वितीय तल्ले में आरक्षी अधीक्षक कार्यालय का प्रावधान है। आवंटन के अभाव में इस भवन का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका हैं। आरक्षी अधीक्षक आवास के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निर्गत की गयी है। आरक्षी अधीक्षक के आवास के निर्माण के संबंध में प्राक्कलन तैयार करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

1109. *श्री देवनन्दन प्रसाद* : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्या यह बात सही है कि श्री हीरानंद झा, पम्प चालक, गंडक परियोजना, मैसालोटन, बेतिया की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई?

(2) क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय झा के दो पुत्र क्रमशः जितेन्द्र कुमार झा एवं श्री मुंशी झा उक्त समय में नाबालिग थे जिनका घर, ग्राम, पो० तुमरिया, जिला-मधुबनी है।

(3) क्या यह बात सही है कि श्री जितेन्द्र कुमार झा, ग्राम पोस्ट तमुरिया जिला मधुबनी ने बालिग होने के बाद अपने पिता के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विधिवत् आवेदन अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 8 सितम्बर 1992 को दिया है लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री जगदानन्द सिंह : (1) स्वर्गीय झा की मृत्यु वर्ष 1978 में नहीं अपितु दिनांक 13.11.77 को हुई थी।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है। आवेदक द्वारा अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, को वर्ष 1992 में विधिवत नियुक्ति हेतु दिया गया कोई आवेदन पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यदि यह मान भी लिया जाय कि उक्त तिथि को उन्होंने अभ्यावेदन दिया था, तब भी उनकी नियुक्ति सम्भव नहीं है क्योंकि 15 वर्षों के बाद दिया गया आवेदन पत्र स्पष्टतया कालबाधित है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं : (क) आवेदक अपने स्वर्गीय पिता के निधन के समय नाबालिग थे जो कि इन्होंने स्वयं स्वीकारा है। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-4733, दिनांक- 19 मई 1992 के अनुदेशों के आलोक में आवेदक के कई वर्षों के बाद बालिग होने पर उनकी नियुक्ति पर नियमानुकूल विचार नहीं किया जा सकता है।

(ख) तत्कालीन सरकारी अनुदेशों के तहत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से दो वर्षों के भीतर स्वर्गीय कर्मचारी के वारिस द्वारा विधिवत् आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए था। तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। अत: आवेदक की नियुक्ति, अनुकम्पा के आधार पर संभव नहीं है।

नहर की सफाई

1110. *श्री महावीर चौधरी* : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्यां यह बात सही है कि मुंगेर जिला के बरबीघा में सिंचाई के लिए एक ही सिंचाई योजना है जो सकरी नहर से शाखा